प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –815 / 2023

अनवान : –

1. विनोद पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. आत्माराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. विजेता पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 16/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 63 / 63 की कुल 3.6800 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने से उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है क्योंकि प्रतिवादी स0 1 के नाम रोही मौजा 6 जेएसएन में अलग से कृषि भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 2 जो की वादी की बहिन है वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के [illegible] इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी [illegible] जाती है हम प्रतिवादीगण [illegible] कोई एतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

नही है। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा 4 बारानी खाता स0 63/63 सम्वत 2074–2077 की प्रमाणित जमाबंदी, रोही मौजा 4 बारानी जमाबंदी सम्वत 2070–2073, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का इकबाल/आपसी सहमति पूर्व में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं तथा प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा 6 जेएसएन में अलग से कृषि भूमि दर्ज है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 63/63 की कुल की कुल 3.6800 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा अन्य भूमि होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 63/63 की कुल 3.6800 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –815/2023

अनवान : –

1. विनोद पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. आत्माराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. विजेता पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 815 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 63/63 की कुल 3.6800 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested